

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, अंजड जिला-बडवानी (म.प्र.)
(समक्ष: शरद जोशी)

दिवानी प्र.क्रमांक- 01ए/2015

आर.सी.टी कं0 322/15

संस्थित दिनांक-19.12.2014

1. साधुराम पिता पूनमचंद भावसार,
आयु-70 वर्ष, निवासी ग्राम ब्राह्मणगांव,
तहसील ठीकरी जिला बडवानी (म0प्र0)

----- वादी

विरुद्ध

1. औंकारलाल पिता पूनमचंद भावसार,
आयु 65 वर्ष, निवासी ग्राम ब्राह्मणगांव,
तहसील ठीकरी जिला बडवानी (म0प्र0)
2. तहसीलदार,
तहसील कार्यालय ठीकरी, जिला-बडवानी (म0प्र0)
3. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,
बडवानी जिला बडवानी (म0प्र0)

-----प्रतिवादीगण

// आदेश //

(आज दिनांक 08.05.2018 को पारित)

01. इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है। जिसके माध्यम से वादी ने प्रतिवादी क्रं. 1 द्वारा तहसीलदार ठीकरी के यहां प्रस्तुत राजस्व प्र.क्रं. 3अ-70/2017-18(औंकार विरुद्ध साधुराम) अंतर्गत धारा 250 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, कब्जे की कार्यवाही के प्रकरण, को वाद के निराकरण तक रोकें जाने की तथा उसे भूमि से बेदखल नहीं किया जावे बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने का निवेदन किया।

02. वादीगण द्वारा आवेदन संक्षेप में इस आशय का प्रस्तुत किया है कि, वादी के स्वामित्व व अधिपत्य के नाम की काश्त ग्राम-ब्रह्मणगांव तहसील ठीकरी में स्थित है। उक्त भूमि का प्रकरण वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि, वाद के विचारण के दौरान प्रतिवादी क्रमांक 1 औंकारलाल पिता पुनमचंद भावसार के द्वारा तहसील न्यायालय ठीकरी में धारा-250 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के तहत कब्जा दिलाने का कार्यवाही की है, जिसका सुचना पत्र वादी को मिला है। जिसकी सुनवाई की तारीख 24.04.2018 दिन के 11:00 बजे तहसील न्यायालय में पुकार के वक्त हाजिर हुआ था और प्रकरण में हाजिर होने पर भी ना तो तहसीलदार ने अपने

आदेश पत्रिका में साधुराम की उपस्थिति दर्ज नहीं की है, और न ही वकील पत्र लिया है। सीधा तहसीलदार ने अपनी मन-मानी करते हुवे कब्जा दिलाने का आदेश कर राजस्व निरीक्षक को दिनांक 09.05.2018 को कब्जा दिलाने की रिपोर्ट की तारीख लगा दी है। वादी का कब्जा सन् 1961 में लगातार खुले रूप से है वादी एवं प्रतिवादी के बीच कोई बटवारा मौके पर नहीं हुआ है। समतल जमीन है। वादी ने उक्त भूमि पर वर्तमान में कपास की फसल बोई हुई है, इसलिए वादी एक मात्र मालिक होने के नाते सम्पूर्ण भूमि से वादी को उक्त कब्जे से बेदखल न किया जावे। व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत वाद के गुण-दोषों पर निराकरण में समय लगेंगा तब तक के लिए वादी को उक्त भूमि से तहसीलदार ठीकरी के यहां प्रस्तुत राजस्व प्रकरण के अंतर्गत बेदखल न करे व न ही कब्जा हटवाया तब तक के लिए तहसीलदार की कार्यवाही धारा-250 कि रोकी जावे। वादी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण है व अपूर्ण क्षति वादी को होने की संभावना है, और सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। अतः आवेदन पत्र न्याय हित में स्वीकार कर तहसीलदार ठीकरी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 3 अ 70/2017-18 के अंतर्गत की जा रही कब्जे की कार्यवाही वाद के निराकरण तक रोके जाने तथा वादी को भूमि से बेदखल नहीं किया जावे।

03. प्रतिवादीगण का जवाब संक्षेप में इस आशय का प्रस्तुत किया है कि, वादी का आवेदन जिस स्वरूप का प्रस्तुत किया गया है वह आदेश 39 नियम 1 एवं धारा-151 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है। प्रकरण के वास्तविक तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम ब्राह्मणगांव में स्थित कृषि भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी क्रं. 01 के संयुक्त स्वत्व एवं आधिपत्य की थी जिसके संबंध में वादी के द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 अंजड़ के न्यायालय में वाद क्रमांक 4 ए/2012 स्वत्व घोषणा इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी ने प्रतिवादी क्रं. 1 से रुपये 1,00,000/- एक लाख रुपये में क्रय की गई तथा विरोधी आधिपत्य के आधार पर मालिक हो गया जो वाद व्यवहार न्यायाधीश अंजड़ के द्वारा निरस्त किया गया तथा वादी के द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश बड़वानी के यहां अपील प्रस्तुत की गई थी जो भी निरस्त हुई तथा उसकी द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जो भी निरस्त की गई इस प्रकार व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 अंजड़ निर्णय कायम रहा। प्रतिवादी क्रं. 1 के द्वारा वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रं. 1 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की होने से प्रतिवादी क्रं. 01 के द्वारा राजस्व न्यायालय तहसीलदार ठीकरी के समक्ष एक आवेदन धारा-178 भु.रा.सं. के अंतर्गत पेश किया गया जो प्र.क्रं. 39 अ/26-2015-16 आदेश दिनांक 30.11.2016 के अनुसार राजस्व पत्रों में वादी एवं प्रतिवादी के स्वत्व की भूमि पृथक-पृथक की गई है तथा उसके पश्चात् प्रतिवादी क्रं. 01 ने कृषि भूमि सर्वे नं. 156/2,288/3 कुल रकबा 0.473 लगान 1.53 की भूमि पर विधि पूर्वक कब्जा दिलाने बाबद धारा 250 भु.रा.सं. के अंतर्गत तहसील कार्यालय ठीकरी में

दिनांक 16.04.2018 को प्रस्तुत किया गया जो तहसीलदार ठीकरी के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कं. 0003/अ-70-2017-18 कर वादी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा आगामी पेशी 24.04.2018 को नियत की गई।

दिनांक 24.04.2018 को तहसीलदार के समक्ष प्रतिवादी कं. 1 उपस्थित हुआ था तथा राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट अप्राप्त होने से समय चाहा गया। तहसील न्यायालय ठीकरी में वादी उपस्थित नहीं हो सका तथा आगामी पेशी 09.05.2018 को नियत की गई है उक्त आदेश से यदि वादी असंतुष्ट हो तो इस दशा में उस आदेश के विरुद्ध रिट या कमिश्नर के रिवीजन पेश करने का प्रावधान होने से वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र इस न्यायालय के विचाराधिकार एवं श्रवणाधिकार का न होने से निरस्त किया जावे।

वादी के द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों का उल्लेख अपने वाद पत्र के अभिवचन में न होकर सहायता के चरण में भी न होने से तथा बंटवारे के अनुसार सर्वे नं. 156, 228/2 रकबा 0.947 भूमि का स्वामित्व प्रतिवादी कं. 1 होने से वादी का आवेदन पत्र इस बिना पर चलने योग्य नहीं है। इस कारण वादी का प्रथम दृष्टया आवेदन पत्र चलने व स्वीकार योग्य न होकर वाद का संतुलन भी वादी के पक्ष में न होकर तथा वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य प्राप्त करने में प्रतिवादी कं. 1 को रोका गया तो प्रतिवादी कं. 1 को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया।

04. प्रकरण में विचारणीय बिंदु निम्नानुसार हैं :-

अ. क्या प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है?

विचारणीय बिन्दु कमांक अ के संबंध में

05. वादी के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, प्रतिवादी कं. 1 औंकारलाल के द्वारा तहसील न्यायालय ठीकरी में धारा 250 म.प्र. भू-राजस्व संहिता. के तहत कब्जा दिलाने की कार्यवाही की थी, जिसका सूचना पत्र वादी को प्राप्त हुआ था। जिसकी सुनवायी की तारीख 24.04.2018 नियत की गयी थी। प्रकरण में उक्त दिनांक को तहसील न्यायालय में उपस्थित होने पर भी आदेश पत्रिका में न तो साधुराम की उपस्थित दर्ज की और न ही वकील पत्र लिया गया। तहसीलदार ने अपनी मनमानी करते हुये कब्जा दिलाने का आदेश राजस्व निरीक्षक को दिनांक 09.05.2018 कब्जा दिलानी की रिपोर्ट की तारीख लगा दी। वादी का वर्ष 1961 से कब्जा है तथा कोई बटवारा मौके पर नहीं हुआ है। वादी के द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि, वाद के गुण-दोषों के निराकरण में समय लगने के संभावना है तब तक के लिये तहसीलदार ठीकरी के यहां की गयी कार्यवाही अंतर्गत धारा 250 म.प्र. भू-राजस्व संहिता रोकी जाने का निवेदन किया है।

6. वादी द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में तहसील न्यायालय ठीकरी के नोटिस की मूल प्रति, प्रतिवादी के द्वारा तहसील न्यायालय में प्रस्तुत धारा 250 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये आवेदन की छायाप्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत ब्राह्मणगांव व जनपद पंचायत ठीकरी जिला बडवानी के संपन्न द्वारा साधुराम के आधिपत्य संबंधित तथ्य का उल्लेख करते हुये जारी किये गये प्रमाण पत्र की मूल प्रति, खसरा के कॉलम नं. 12 में कब्जा इंद्राज करने बाबत तहसीलदार ठीकरी को अधीक्षक भू- अभिलेख जिला बडवानी द्वारा लिखे गये पत्र की छायाप्रति, साधुराम के भू-अधिकार ऋण पुस्तिका की छायाप्रति तथा दिनांक 16.04.2018 व 24.04.2018 की राजस्व न्यायालय ठीकरी की आदेश पत्रिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत उद्धवदास त्यागी विरुद्ध श्रीमति राधाकृष्ण मंदिर दहरीघाट सिविल रिविजन नंबर 483-1999 तथा नगर पंचायत बदावडा विरुद्ध लक्ष्मीनारायण राठौर रीटपिटिशसन नंबर 9762-2003(1) तथा गेंदालाल विरुद्ध शवजीराम सिविल नं. 972-1983(1) प्रस्तुत किये हैं।

7. इसके विपरित प्रतिवादी कं0 1 द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि, वादी ने जिस आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया है, वाद पत्र के अभिवचन में कई पर भी वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के तथ्यों का उल्लेख नहीं है। वादी को तहसीलदार ठीकरी के आदेश दिनांक 24.04.2018 के संबंध में कोई आपत्ति थी तो उसे आदेश के विरुद्ध रिट या कमिशनर के यहां रिविजन प्रस्तुत करना था। इस संबंध में इस न्यायालय का विवेकाधिकार व श्रवणाधिकार नहीं है। वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा का व्यवहार न्यायालय अंजड द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जिसकी प्रथम अपील भी माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा निरस्त कर दी गयी है। जिसकी द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गयी है। इस प्रकार व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अंतिम हो चुका है तथा जहां तक तहसील न्यायालय ठीकरी में प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 250 म.प्र. भू-राजस्व संहिता का प्रश्न है वह एक विधिपूर्वक की गयी कार्यवाही है अतः वादी का आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित द्वितीय अपील कं. एस.ए. 18/2015 के निर्णय की छायाप्रति प्रस्तुत की है तथा अपने पक्ष समर्थन में इस संबंध में न्यायदृष्टांत मांगीलाल पंवार विरुद्ध भैरूलाल सिविल रिविजन नं. 734-1980(1) तथा रामदुलारे विरुद्ध राजेन्द्रसिंह सिविल रिविजन नं. 1107-1983 तथा साजुद्दीन विरुद्ध नगरपालिका परिषद श्योपुर कला एवं अन्य प्रस्तुत किये हैं।

8. प्रकरण में यह स्वीकृत व उल्लेखनीय तथ्य है कि, वादी द्वारा पूर्व में एक व्यवहार वाद स्वत्व घोषणा बाबत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जहां वादी का वाद कं. 4-ए/2012 स्वत्व घोषणा का

// 5 //

दिवानी प्र.कमांक- 01ए/2015

आर.सी.टी कं0 322/15

संस्थित दिनांक-19.12.2014

निरस्त किया गया। जिसकी प्रथम अपील कं. 8-ए/2013 न्यायालय जिला न्यायाधीश बडवानी के द्वारा निरस्त की गयी। वादी के द्वारा द्वितीय अपील एस.ए. -18/15 माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. में प्रस्तुत की गयी, जो भी निरस्त हो गयी। इस प्रकार स्वत्वों के संबंध में निर्णय अंतिम हो चुका है।

9. प्रतिवादी के द्वारा उक्त निर्णय के आधार पर एक आवेदन धारा 178 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया, जिसके प्रकरण कं. 39-अ/26-2015-16 आदेश दिनांक 30.11.2016 के अनुसार राजस्व पत्रको में वादी एवं प्रतिवादी की स्वत्व की भूमि पृथक की गयी। वादी ने राजस्व न्यायालय तहसीलदार ठीकरी के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर जिला बडवानी में राजस्व प्रकरण कं. 22/अ-27/अपील-2017 प्रस्तुत की जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 08.08.2017 के द्वारा इस आधार पर निरस्त की गयी कि, वादग्रस्त भूमि ग्राम ब्राह्मणगांव की अपीलांट(वादी) एवं रेंसपांडेंट(प्रतिवादी) के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। विवादित भूमि के स्वत्व के संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा विवेचना की गयी तथा अपीलांट(वादी) का सम्पूर्ण भूमि पर स्वत्व होना अस्वीकार किया गया तथा न्यायालय तहसीलदार ठीकरी के द्वारा स्वत्व अनुसार पारित बटवारा आदेश भू-राजस्व संहिता के प्रावधान अनुसार होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है तथा तहसीलदार ठीकरी का आवेदन स्थिर रखकर अपीलांट(वादी) की अपील सार्वहिन होने से निरस्त की गयी।

10. उसके पश्चात् प्रतिवादी कं. 1 जो कृषि भूमि सर्वे नंबर 156/2/288/3 कुल रकबा 0.473 लगान 1.53 की भूमि का विधि पूर्वक कब्जा दिलाने बाबत् धारा 250 भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत तहसील कार्यालय ठीकरी में दिनांक 16.04.2018 को प्रस्तुत किया गया जो तहसीलदार ठीकरी के द्वारा प्रकरण कं. 0003/अ-70-2017-18 का किया जाकर वादी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा दिनांक 24.04.2018 को तहसीलदार के समक्ष प्रतिवादी कं. 1 उपस्थित होकर राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट अप्राप्त होने से समय दिये जाने का निवेदन किया गया तथा प्रकरण में वादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका तथा आगामी पेशी दिनांक 09.05.2018 नियत की गयी है।

11. जहां तक वादी द्वारा आवेदन में यह तथ्य उल्लेखित किया है कि, दिनांक 24.04.2018 को 11:00 बजे तहसील न्यायालय में पुकार के वक्त हाजिर हुआ है और प्रकरण में हाजिर होने पर भी तहसीलदार ठीकरी ने अपनी आदेश पत्रिका में साधुराम की उपस्थिति दर्ज नहीं की है और ना ही वकील पत्र लिया है। इस संबंध में उसे कोई आपत्ति हो तो वह तहसील न्यायालय ठीकरी के आदेश के विरुद्ध अन्य फोरम में वैधानिक कार्यवाही के लिये स्वतंत्र है। इस

//6//

दिवानी प्र.कमांक- 01ए/2015
आर.सी.टी कं0 322/15
संस्थित दिनांक-19.12.2014

न्यायालय को उक्त तथ्यों के संबंध में कार्यवाही करने का श्रवणाधिकार नहीं है।

12. वादी के द्वारा जो न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं, वह भी प्रकरण की परिस्थितियों व तथ्यों से भिन्न है इस कारण उक्त न्यायदृष्टांतों को भी हस्तगत आवेदन के तथ्यों पर लागू नहीं किया जा सकता है।

13. यह भी उल्लेखनीय है कि, वादी के द्वारा आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य.प्र.सं. के अंतर्गत पूर्व में भी प्रस्तुत किया गया था, जिसे आदेश दिनांक 12.09.2016 के द्वारा वादी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नहीं मानते हुये निरस्त किया गया। जिसकी अपील माननीय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश बड़वानी को की गयी थी जो विविध सिविल अपील कं. 22/2016 पर पंजीबद्ध होकर आदेश दिनांक 20.07.2017 के द्वारा वादी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नहीं मानते हुये निरस्त कर दी गयी। अतः व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 अंजड द्वारा पारित आदेश अंतिम हो चुका है।

14. प्रतिवादी के द्वारा राजस्व न्यायालय में स्वत्व के निर्णय अंतिम हो जाने के उपरांत कार्यवाही की जा रही है, जो प्रथम दृष्ट्या विधिवत् है। अतः इस विधिवत् कार्यवाही को रोके जाने का इस स्थिति पर कोई औचित्य नहीं है।

15. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य न होने से वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य.प्र.सं.निरस्त किया जाता है

16. वाद के अंतिम निराकरण पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा।

17. आवेदन पत्र के व्यय उभयपक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित,
एवं हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही / -
(शरद जोशी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
अंजड, जिला बड़वानी म0प्र0

सही / -
(शरद जोशी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
अंजड, जिला-बड़वानी म0प्र0